

[भारत के राजपत्र असाधारण, के भाग-II, खण्ड- 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक : 24 जुलाई, 2018

सा.का.नि. संख्या.....(अ.) : केंद्र सरकार, तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) की धारा-5 और 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात :-

1. (1) इन नियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (संशोधन) नियम, 2018 कहा जाए।
(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम-3 में खंड (ट) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

‘(ट) “पेट्रोलियम” का अर्थ प्राकृतिक रूप में प्राप्त होने वाले हाइड्रोकार्बन्स, चाहे वह प्राकृतिक गैस के रूप में हो या तरल हो, चिपचिपा हो या ठोस रूप में या उनका मिश्रण हो, लेकिन इसमें कोयला, लिग्नाइट और हीलियम शामिल नहीं हैं जो पेट्रोलियम या कोयला या शेल के संयोजन से प्राप्त होती हैं;’।

[सं. अन्वेषण-15022(13)/18/2018-ओएनजी.डी.V]

अमर नाथ

अमर नाथ / AMAR NATH
संयुक्त सचिव/Joint Secretary (अमर नाथ)
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
Ministry of Petroleum & Natural Gas
भारत सरकार
Government of India
नई दिल्ली/New Delhi
दूरभाष : 23388764

टिप्पणी : मूल नियम दिनांक 24 नवंबर, 1959 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.1288 के द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और दिनांक 13 नवंबर, 2014 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 874(अ) द्वारा संशोधित किए गए थे।

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY, PART II,
SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 24th July, 2018.

G.S.R. (E). - In exercise of the powers conferred by sections 5 and 6 of the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, namely :-

1. (1) These rules may be called the Petroleum and Natural Gas (Amendment) Rules, 2018.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, in rule 3, for clause (k), the following clause shall be substituted, namely:-

‘(k) **“petroleum”** means naturally occurring hydrocarbons, whether in the form of natural gas or in a liquid, viscous or solid form, or a mixture thereof, but does not include coal, lignite and helium occurring in association with petroleum or coal or shale;’.

[No. Expl-15022(13)/18/2018-ONG-D-V]


AMAR NATH
Joint Secretary to the Government of India
Ministry of Petroleum & Natural Gas
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 1288, dated the 24th November, 1959 and was amended vide notification number G.S.R. 874 (E), dated the 13th November, 2014.